International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 04(II), October - December, 2022, pp. 93-100

शहीदों की विधवा महिलाओं की समस्याएँ

योगिता रानी पंवार*

सार

महिलाओं के बिना किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते है। महिलाएँ एक नये जीव को जन्म देती है, सृष्टि रचनाकार सृजनकर्ता है। कुल जनसंख्या का आधा भाग होने के बावजूद आज के इस आधुनिक वैश्वीकरण के युग में शोषण, अत्याचारों की शिकार हो रही है। संस्कृति, इतिहास में मनुष्य को मनुष्य बनाने में महिलाओं के योगदान का उल्लेख मिलता है। आज महिलाएँ चाहे वह सधवा हो या विधवा या शहीदों की विधवा महिलाएँ हो पुरूषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। हर क्षेत्र में अग्रणी है। समाज, राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता के बावजूद इनके साथ अभद्र व्यवहार, सड़कों, कार्यस्थल, सार्वजनिक यातायात, घरेलू, हिंसा, यौन शोषण, शारीरिक, मानसिक शोषण होता रहता है। इन महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकारी, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, मानवाधिकार आयोग द्वारा, सामाजिक आन्दोलनों द्वारा प्रयास किये गए है। कई कानूनी संवैधानिक प्रावधान बनाये गये है। स्वतंत्रता के बाद भारत में सधवा, विधवा महिलाओं को पुरूषों के समान ही अधिकार मिले है किंतु सामाजिक परम्पराओं, प्रथाओं, कुरूतियों के कारण जो लम्बी समय से चली आ रही है ने इन महिलाओं के अधिकारों को छीना है। नागरिकों को मिले समान अधिकारों के साथ ही इन महिलाओं को जिनमें शहीदों की विधवा महिलाएँ भी सम्मिलित है, को समान सम्पत्ति, विरासत में बराबर का अधिकार, शैक्षणिक अवसर का अधिकार मिला, जिससे सामाजिक स्तर में थोड़ा बहुत सुधार आया, किन्तु राजनीतिक, आर्थिक स्तजर पर सुधार न के बराबर है। प्रस्तुत शोध शहीदों की विधवा महिलाओं की समस्याएँ, इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, का विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है क्योंकि महिलाओं (सधवा, विधवा, शहीदों की विधवा महिलाओं) के अधिकारों, सुरक्षा से सम्बन्धित बहुत से पहलू अभी भी है जिन पर विचार–विमर्श करने की आवश्यकता है।

शब्दकोश: *अभद्र व्यवहार, संस्कृति, गैर सरकारी संगठन, प्रथा, परम्पराएँ, विरासत, सधवा, विधवा।*

प्रस्तावना

विधवा की अवधारणा

भारतीय समाज में विधवापन एक ऐसी त्रासदी है, जो अपने साथ कई आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक यातनाएँ लेकर आती है। भारतीय समाज पितृ सत्तात्मक है, जिसके कारण अधिकांश विधवा महिलाओं को असुविधापूर्ण परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करना पड़ता है। अधिकांश शहीदों की विधवा महिलाओं के पास कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं होता है इसलिए वह पेंशन पर ही आश्रित रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहीदों की विधवा महिलाएँ अधिकांशतः अशिक्षित, कम पढ़ी लिखी होती है, जिसके फलस्वरूप नौकरी, बच्चों की शिक्षा,

* शोधार्थी, समाज शास्त्र विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

कानून का सही समय पर उन्हें ज्ञान नहीं होता है। समाज द्वारा इन महिलाओं पर कई सामाजिक संकीर्ण दकियानूसी प्रतिबन्ध लगा दिये जाते है। इजराइल युद्ध विधवाओं की पुनर्विवाह में आने वाली कठिनाईयों का उल्लेख किया। विधवाओं का पुनः विवाह प्रथम विवाह के मुश्किल उलझनों भरा बताया। प्रथम विवाह में जीवन साथी के चुनाव की आजादी होती है। शहीदों की विधवा महिलाओं के लिए पुनर्विवाह में यह आजादी नहीं मिलती **(हेन्डलमैन)**।[1] भारत में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय है उनकी प्रस्थिति को सुधारने हेतु अनेक आंदोलनों, स्वैच्छिक संगठनों, कानूनों द्वारा प्रावधान किये गये है। **(लवानीयां)**।[2]

लेखक ने खेटमाला की सैनिक विधवाओं का क्षेत्रीय अध्ययन (1988–1990) में किया। अध्ययन में सैनिक (शहीदों) की विधवा महिलाओं पर परिवर्तित परिवर्तनों, खण्डित होते समुदायों के प्रभाव के साथ–साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक प्रभावों को बताया। शहीदों की विधवा महिलाओं की मनःस्थिति पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। **(जुड़िथ जूर)**।[3] युद्ध कभी न भूलने वाली विभिषिका है। शहीदों की विधवा महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित हो जाती है। समाज इनका बहिष्कार भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है। अनेक यातनाएँ देता है **(सुषमा सूद)**।[4] जब सैनिक शहीद होता है तब उसके परिवार आश्रितों के साथ उसकी विधवाओं को असहनीय पीड़ा, वेदना होती है। विशेष तौर से शहीदों की विधवा महिलाओं को क्योंकि इन्हें आर्थिक संकट के साथ सामाजिक यातनाओं, कलंक का सामना करना पड़ता है। **(लीना परमार)**।[5] हिन्दू समाज में महिला के लिए विधवावस्था को उसके पूर्व जन्म के कर्मो का दण्ड माना जाता है। विधवा महिलाओं को सामाजिक, धार्मिक, मांगलिक कार्यो से दूर रखा जाता है उन्हें अशुभ माना जाता है। इन्हें समाज में निम्न स्थान प्राप्त है। इसलिए इनके पुनः विवाह में भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। **(गोदावरी द पाटिल)**।[6] शहीदों की विधवाएँ अपने पति को खोने के बाद मानसिक संतुलन खो बैठती है उसे शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो महिलाएँ विधवाएँ हो चुकी होती है उन्हें किसी भी ऐसे सामूहिक अवसर पर आमंत्रित नहीं किया जाता, जहाँ कि पति–पत्नी (वैवाहिक जोड़ा) जाते है। यदि किसी व्यक्ति की पत्नी मर जाती है तो उस विधुर की जल्दी शादी कर देते है किंतु एक विधवा महिला को जीवन साथी चुनने का अवसर बहुत ही कम मिलता है। वह प्रत्येक दिन उपेक्षा का शिकार रहती है। भारत में विधवाओं की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, अलेकलापन, भावनात्मक, असभ्य व्यवहार जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समाज द्वारा उन्हें सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। वैधव्य एक प्रकार की सामाजिक हिंसा है, जो हिन्दू सामाजिक संरचना द्वारा विधवाओं को अन्य महिलाओं के समान विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से रोकने के माध्यम से की जाती है। आहूजा ने समाज में विधवा महिलाओं की समस्याओं के चार पक्षों पर अपना अध्ययन केन्द्रित किया है 1. आत्म सम्मान 2. सेल्फ इमेज 3. भूमिका समायोजन 4. विधवाओं के विरूद्ध हिंसा और उनके लिए पुनर्वास का साधन **(राम आहुजा)**।[7] एक विधवा महिला को सती धर्म का पालन करना अनिवार्य है इसलिए उसका सामाजिकरण इस प्रकार किया जाता है कि वह परिवार के अन्य सदस्यों, नातेदारों के साथ बेहतर ढ़ग से सांमजस्य स्थापित कर सके। निषेधात्मक सम्बन्धों को निभाते हुए अगर वह वैधव्य के नियमों का पालन करेगी तो अगले जन्म में पुनः अपने पति को प्राप्त कर सकेगी और सदा सुहागिन रहेगी **(अरविन्द शर्मा)**।[8] वैधव्य को एक सामाजिक मृत्यु माना विशेष तौर से ऊपरी जातियों में यह सामाजिक मृत्यु कई परिणाम लेकर आती है जैसे– सन्तान का पुनरूत्पादन, सेक्सुअलिटी से उसका अलगाव परिवार की सामाजिक इकाई के रूप में उसका पृथक्करण आदि एक पत्नी के रूप में पहचान रखने वाली महिला अब सिर्फ एक व्यक्ति है और वह समस्या सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है ब्राहमणवादी पित्रसत्तात्मक परिवारो में **(उमा चक्रवर्ती)**।[9] हिन्दू समाज में वैधव्य अन्य धर्मो की तुलना में कही अधिक उत्पीड़क स्थिति है क्योंकि अन्य धर्मो में पुनर्विवाह एक स्वभाविक सामान्य प्रघटना है जबकि हिन्दू धर्म में मुख्यतया राजपूत व अन्य उच्च जातियों में इसे हेय दृष्टि से देखा जाता है, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते है **(पार्वती)**।[10]

राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के शहीदों की विधवा महिलाओं की समस्याएँ

भारतीय संस्कृति में नारियों के गौरव के लिए कहा गया है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" यत्रैतास्त न पूजयन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमते है, जहाँ पूजा नहीं होती वहां सभी काम निष्फल होते है। आखिर इस तेजी से बदलते युग में इस गौरव वाक्य को किस रूप में देखा जाये? क्योंकि आज भी विधवा महिलाएँ एवं शहीदों की विधवा महिलाएँ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है, पुरूष प्रधान समाज में उसे एक पल भी आगे बढ़ता देख नही सकता। दुर्भावनावश आज भी समाज में विधवा महिलाएँ, शहीदों की विधवा महिलाएँ एक माँ के रूप में पूज्य, एक बहन के रूप में स्नेहिल, एक दोस्त के रूप में, पत्नी के रूप में विश्वसनीय नहीं सिर्फ नारी एक तन है। वह हर पल अपने नारीत्व की परीक्षा देती रहती है। हर रोज बढ़ते बलात्कार, यौन शौषण, छेड़छाड़, अश्लील हरकतों का सामना करना पड़ता है। हर पल वह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक वेदनाओं से गुजरती है। उसे घर पर होने वाले अत्याचारों का शिकार होना पड़ता है। भारतीय समाज में मध्यकाल महिलाओं पर कई प्रतिबन्ध लेकर आया। बाल विवाह, सती प्रथा, बेमेल विवाह, विधवा विवाह निषेध ऐसी कई सामाजिक कुरीतियों का जन्म हुआ जिसने महिलाओं को विशेष तौर से विधवा महिलाएँ, शहीदों की विधवा महिलाओं का जीवन पशु तुल्य बना दिया, यह बहिष्करण होने लगी, विधवाओं को अपवित्र माना जाने लगा, उनके अधिकार क्षेत्र से बहुत सारे कार्यो को बहिष्कृत कर दिया गया था। विधवा महिलाओं को अधिक कष्टों, उपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। भारतीय समाज में वैधव्य को महिला द्वारा पूर्व जीवन में किये गए अपराधों के दण्ड के रूप में देखा जाता है। विधवा/शहीदों की विधवाओं को अपशगुनी, अमांगलिक माना जाता है। यदि घर से निकलते समय या यात्रा के दौरान मार्ग में कोई विधवा स्त्री नजर आ जाए तो उसे अशुभ माना जाता है। महिलाओं, विधवाओं, शहीदों की विधवा महिलाओं की दयनीय स्थिति के संदर्भ में वैचारिक स्तर पर चिंता प्रस्तुत की जाती रही है, किन्तु उसके अनुरूप व्यवहरात्मक प्रयासों का सदैव अभाव रहा है। यही कारण है कि प्रत्येक काल में महिलाओं की स्थिति चाहे वह सधवा महिलाएँ हो या विधवा महिलाएँ, उपेक्षित, दयनीय रही है। आज प्रत्येक विधवाओं, शहीदों की विधवा महिलाओं की समस्याएँ अलग–अलग है। कहीं पर सामाजिक आधार पर कहीं पर व्यक्तिगत आधार पर तो कहीं पर धार्मिक आधार पर इन्हें तिरस्कृत, बहिष्कृत किया जाता है। इन्हें सामाजिक ताने–बाने का शिकार होना पड़ता है। समस्याओं के आधार पर शहीदों की विधवा महिलाओं को 3 वर्गो में वर्गीकृत किया है –

- प्रथम वर्ग में वे महिलाएँ सम्मिलित है जिनके कोई बच्चा न हो, वह अपने विवाह के एक या दो वर्षो बाद विधवा हो गई हो, युवा विधवा की श्रेणी में आती है।
- द्वितीय वर्ग में वह शहीदों की विधवा महिलाएँ आती है जो 4 से 25 वर्षो के वैवाहिक जीवन के बाद विधवा हुई हो जिन्हें 1–2 बच्चे है।
- तृतीय वर्ग में शहीदों की वे विधवा महिलाएँ आती है जो 50 वर्ष या अधिक आयु की है।

इन तीनों श्रेणी की शहीदों की विधवा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक सामंजस्य का सामना करना पड़ता है। पहली और तीसरी श्रेणी की शहीदों की विधवा महिलाओं को विशेष जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती है। दूसरी श्रेणी की शहीदों की विधवा महिलाओं को अपने बच्चों की उचित परवरिश के साथ पिता की भी भूमिका निभानी पड़ती है। शहीदों की विधवा महिलाओं की आर्थिक निर्भरता में कमी उसके स्वाभिमान, उसकी पहचान की भावना के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर देती है, परिवार में उसके सास–ससुर परिवार के अन्य सदस्य द्वारा निम्न दर्जा प्रदान किये जाने के कारण उसका स्वाभिमान कम होता है। भारत में विधवाओं की समस्याएँ अत्यधिक गंभीर समस्याएँ है, क्योंकि भारतीय (हिंदू धर्म) में विवाह को धार्मिक संस्कार माना, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। इसी कारण पति की मृत्यु के बाद से ही विधवा महिलाओं के दुख प्रारम्भ हो जाते है। यही से सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यक्तिगत समस्याएँ उत्पन्न होती है। पति के परिवार के लोग विधवाओं पर अत्याचार करते है जिसे डायन, रांड, कलंकिनी कहकर पुकारते है जिसने अपने पति को खा लिया है। भारत में विधवा महिलाओं को अशिक्षित होने के कारण कानून के ज्ञान की कमी होने के कारण पति की

सम्पत्ति, व्यापार, बीमे की रकम, जमा पूंजी का ज्ञान नहीं होता है इसका लाभ विधवा महिला के ससुराल वाले उठाते है उससे कागज पर अंगूठा लगवाकर उसकी सम्पत्ति को हड़पने का प्रयास करते है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होती है। व्याभिचार, लैंगिग दुव्यर्वहार का सामना करना पड़ता है। भारत में 7 प्रतिशत महिलाएँ विधवाएँ है। 1.28 प्रतिशत विधवाएँ ऐसी है, जो पेंशन के योग्य मानी जाती है, इनमें से 11 प्रतिशत को ही पेंशन प्राप्त होती है। लगभग 40 लाख विधवाओं को किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार देखा जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विधवाओं, शहीदों की विधवा महिलाओं की स्थिति दयनीय है, इन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो निम्नलिखित है –

- **भिक्षा (भीख) मांगने वाली विधवा महिलाओं की समस्याएँ** :– इस प्रकार की विधवा महिलाओं की स्थिति ज्यादा खराब होती है क्योंकि इनके आगे–पीछे कोई नहीं होता हैं। यह अकेले ही रहकर अपना जीवन यापन करती है इनके पास इनके नातेदार रिश्तेदार नहीं होते है। यह फुटपाथ पर अपना जीवन यापन करती है। यह शरीर से बिल्कुल अस्वस्थ, अशक्त होती है। इनका कोई सहारा नहीं होता है। इनके पास रहने, सोने, खाने, कपड़े पहनने तक के नहीं होते है। सर्दी, बीमारी में वृद्ध विधवा महिलाएँ कपड़े, दवाईयों, उचित ईलाज के अभाव में बीमार हो जाती है, इन्हें ठंड में ठिठुरना पड़ता है। दिन भर भीख मांगने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गली–मौहल्ले से दूसरे गली मोहल्ले में भटकना पड़ता है। यह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त रहती है। शारीरिक अपंगता तो रहती है उसी के साथ पोषण की भी कमी रहती है। संसाधनों के अभाव के कारण उनकी आर्थिक समस्याएँ बनी रहती है।
- **शिक्षा का अभाव** :– विधवा, शहीदों की विधवा महिलाओं में शिक्षा की ज्ञान की कमी के कारण विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाओं का शिकार होना पड़ता है। अपने अधिकारों के प्रति आवाज नही उठा पाती, लड़ नहीं पाती है। परिवार के शिक्षित जागरूक लोग इन्हें अपने आधिपत्य मे रखते है, इनका शोषण करते है।
- **आयु, वर्ग सम्बन्धी समस्याएँ:**– आयु वर्ग के आधार पर युवा वर्ग की विधवा शहीदों की विधवा महिलाओं को अधिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। बच्चों की देखभाल करना, पारिवारिक समस्याएँ, परिवार की जिम्मेदारियों को उठाना, कई प्रकार की व्यक्तिगत समस्याओं को सामना करती है। दूसरी तरफ वृद्ध विधवा शहीदों की विधवा महिलाएँ अपनी वृद्धावस्था के कारण परिवारजनों पर आश्रित रहती हैं । अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहती है। परिवार वाले इन वृद्ध विधवा, शहीदों की विधवा महिलाओं को बोझ समझते है। इनकी उचित देखभाल नहीं करते है जिसके फलस्वरूप भावनात्मक मानसिक पीड़ा की शिकार होती है।
- **काम वासना सम्बन्धी समस्याएँ** :– युवा विधवा शहीदों की युवक विधवा महिलाएँ कम उम्र में विधवा हो जाती है जिसके फलस्वरूप कामवासना (यौन सम्बन्धों) की संतुष्टि के लिए पर पुरूष से अनैतिक सम्बन्ध स्थापित करती है, जो भटकाव उत्पन्न करती है।
- **निष्क्रिय शहीदों की विधवा महिलाओं, विधवाओं के शोषण के प्रमुख कारण**:– शहीदों की विधवा महिलाओं के प्रति शोषण अत्याचारों का कारण उनका निष्क्रिय हो जाना है। वह अपने कार्यक्षेत्र में अपने अधिकारों के प्रति सक्रिय नहीं रहती है। इन लोगों के कार्य करने की गति धीमी रहती है जिसके कारण इनके रिश्तेदार परिवार के लोग इनका फायदा उठाकर इनका मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक, सामाजिक उत्पीड़न करते है, जिससे इन्हें कई दुखों का सामना करना पड़ता है। यह हमेशा तनावग्रस्त रहती है। अंत में दुखों से छुटकारा पाने के लिए विधवा आश्रम चली जाती है।
- **निम्न वर्ग की शहीदों की विधवा महिलाएँ, विधवाएँ ज्यादा उत्पीड़ित** :– शिक्षित उच्च वर्ग की शहीदों की विधवा महिलाओं, विधवाओं की तुलना में अशिक्षित निम्न वर्ग की शहीदों की विधवा महिलाओं विधवाओं का शोषण अत्याचार ज्यादा होता है। भारतीय समाज में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है जैसे उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, शिक्षित, अशिक्षित वर्ग इनमें जो उच्च वर्ग एवं शिक्षित वर्ग की शहीदों की

विधवा महिलाओं की प्रास्थिति भारतीय समाज में अच्छी होती है इन्हें अधिक शोषण, अत्याचार का शिकार नहीं होना पड़ता है। यह अपने अधिकारों के प्रति काफी हद तक जागरूक होती है, कानून सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों का इन्हें ज्ञान होता है। दूसरी तरफ निम्न वर्ग, अशिक्षित वर्ग की अशिक्षित वर्ग की शहीदों की विधवा महिलाओं, विधवाओं को अशिक्षित निम्न वर्ग जाति का होने के कारण विधवा महिलाओं के लिए लागू की गई सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों, लाभों कानूनों का ज्ञान नहीं होता है। समाज इन्हें तिरस्कृत, हीन दृष्टि से देखता है। यह अपने हक के लिए लड़ नहीं पाती है। अशिक्षित निम्न वर्ग की होने के कारण इन महिलाओं को विभिन्न लाभों से वंचित कर दिया जाता है। समाज द्वारा कई प्रतिबन्ध लगा दिए जाते है।

- **आश्रम, तीर्थस्थानों गांवों में रहने वाली शहीदों की विधवा महिलाएँ, विधवाओं की समस्याएँ** :– तीर्थस्थानों गांवों में रहने वाली शहीदों की विधवा महिलाओं, विधवाओं की समस्याएँ प्रत्येक स्तर पर है। गाँव में रहने वाली शहीदों की विधवा महिलाएँ बढ़ती उम्र में पारिवारिक समायोजन की समस्याओं का सामना कर रही है, युवा पीढी पर बोझ बनकर रह गई है। युवा पीढ़ी इन विधवाओं की उचित देखभाल अपना कर्तव्य समझकर नहीं करते है, इन्हें बोझ समझते है। इन विधवा महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी, मानसिक बीमारी वृद्धावस्था में चलने फिरने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कष्टपूर्ण जीवन जीने को विवश है। समाज के दायरों से बंधी रहती है। आर्थिक तंगी के कारण अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती है। भारतीय समाज में सभी विधवा महिलाओं के लिए नियम, प्रतिबन्ध समान है चाहे वह गांव की हो गया शहरों की या शहीदों की विधवा महिला हो, किंतु तीर्थ स्थानों पर कुछ भिन्नता है। धर्म के अनुसार सभी तीर्थस्थानों पर विधवा महिलाओं के लिए भिन्न–भिन्न नियम प्रतिबन्ध लागू है। तीर्थस्थानों पर विधवा महिलाओं के रहने का उद्देश्य आध्यात्मिक, संयमी जीवन यापन करना होता है। गांव, कस्बों में रहने पर इन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे कि गांव में अंधविश्वास अत्यधिक होता है, जिसके फलस्वरूप शहीदों की विधवा महिलाओं, विधवाओं को अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी शुभ कार्य में जाते समय इन विधवा महिलाओं का चेहरा देख लिया या परछाई पड़ गई तो शुभ कार्य नहीं होगा, बनते हुए काम बिगड़ते चले जायेंगे। इनके वस्त्र भोजन भी सामान्य लोगों से भिन्न होते है। समाज द्वारा इनको बहिष्कृत किया जाता है। इनका जीवन रंगहीन हो जाता है समाज परिवार द्वारा दी गई यातनाओं, शोषण, अत्याचारों को सहते सहते, इनका मन मोह माया से समाप्त हो जाता है। यह वैराग्य जीवन को धारण कर लेती है। काशी, वृन्दावन, धार्मिक विधवा आश्रमों में जीवन जीने चली जाती है।

घरेलू हिंसा

व्यक्तित्व का ह्रास

अधिकांश शहीदों की विधवाएँ ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्ध रखती है वे अशक्त या कम शिक्षित होती है, सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों के बारे में उचित जानकारी नहीं होती है।

अधिकांश शहीदों की विधवा महिलाएँ इतनी सक्षम नहीं होती है कि वह अपनी बात को मीडिया तक पहुंचाये।

पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, साहित्यकार, लेखकों द्वारा भी इनकी समस्याओं को उजागर करने में उनका समाधान करने में कोई रूचि नहीं दिखाई जाती है।

कुल पारिवारिक, सामाजिक प्रतिष्ठा प्रेरणा के नाम पर शहीद प्रतिमा का निर्माण करके उसके रखरखाव में लाखों खर्चे किये जाते है। इस खर्च में सरकार कोई खर्चा नहीं देती है यह राशि शहीदों की विधवा महिलाओं द्वारा ही व्यय की जाती है।

शहीदों की विधवा महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसाएँ, समस्याएँ रोकने के उपाय

शहीदों की विधवा महिलाएँ समाज, देश का महत्वपूर्ण भाग है। शहीदों की विधवाएँ, शहीद परिवार केवल प्रदेश की जनसंख्या का एक भाग ही नहीं बल्कि उन शहीदों की जिन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है, के प्रति समाज के दायित्वों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकारी, गैर सरकारी, शैक्षणिक स्तर पर शहीदों की विधवा महिलाओं की समस्याओं को दूर करके उनके कल्याण, पुनर्वास के प्रयास समय–समय पर किये गये है। कारगिल मिशन के बाद शहीदों की विधवा महिलाओं के पुर्नवास के लिए केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये गये है। शहीदों की विधवा महिलाओं को अतिरिक्त सहयोग सुविधाएँ दी गई है। वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु मंथन का सूत्रपात हुआ। 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में महिला अधिकारों की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। वर्ष 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक की घोषणा के साथ पहली बार महिलाओं की प्रास्थिति पर चिन्ता व्यक्त की गई। 1977 में महिलाओं की व्यक्तिगत गरिमा का प्रश्न उठाया गया। 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने की संविदा को स्वीकार किया गया। 1990 के दशक में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों में महिलाओं के अधिकारों के लिए मूल ढ़ाचे को मजबूत किया गया है। 1973 में वियना विश्व मानव अधिकार सम्मेलन में पहली बार महिला अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में मान्यता दी गई। 1994 में जनसंख्या और विकास सम्बन्धित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1995 में चौथे विश्व महिला सम्मेलन से उभरी समितियों ने महिला अधिकारों के बारे में ठोस कार्य योजनाएँ प्रदान की, साथ ही राष्ट्रीय नीति, कानूनी सुधारों के लिये आधार उपलब्ध कराया। भारत में स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत भी महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किये गए। 1993 में महिला अधिकारों की सुरक्षा हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। सभी राज्य सरकारों को राज्य महिला आयोग गठन करने के निर्देश जारी किये गए। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। शहीदों की विधवा महिलाओं, उनके परिजनों को अमलगमेटेड फण्ड के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। विवाह हेतु आर्थिक सहायता, चिकित्सकीय सहायता छात्रवृत्ति, आश्रितों को सहायता, निःशुल्क शिक्षा कृषि भूमि पेट्रोल पम्प का आवंटन, विद्युत कनेक्शन, शहीद कारगिल पैकेज, शौर्य पदक धारकों की सहायता इत्यादि कई कल्याणकारी सुविधाएँ दी जाती है। राजस्थान में महिलाओं की समाज में स्थितियों को सुधारने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास 1984 में हुआ। 1985 में राज्य सरकार द्वारा एक पृथक विभाग "महिला शिशु एवं पोषाहार विभाग" का गठन किया गया था जिसे वर्ष 1990 में "महिला एवं बाल विकास विभाग" नाम दिया। राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 पारित कर 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन किया। इसके बाद 8 मार्च 2000 को प्रदेश सरकार द्वारा "राजस्थान राज्य महिला नीति" घोषित की गई किन्तु यह प्रयास किस सीमा तक सार्थक रहे है यह एक विचारणीय विषय है।

राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील की शहीदों की विधवा महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसाएं, समस्याओं का समाधान करने हेतु समय– समय पर विचार गोष्ठियों, कार्यशालाओं, समाज सुधारकों इत्यादि ने अनेक सुझाव दिए हैं। इस क्षेत्र में अनेक संगठन काम भी कर रहे है, जो सुझाव दिए हैं उन्हें निम्नलिखित क्रमों में प्रस्तुत किया जा सकता हैः–

- **सोच में परिवर्तन** :– राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के शहीदों की विधवा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, शोषण, अत्याचारों को कम करने, रोकने के लिए विधवा महिला के माता–पिता, भाई–बहन, देवर–जेठ, सास–ससुर से लेकर समाज के सभी पुरूषों के विचारों, मान्यताओं, मूल्यों में परिवर्तन लाना होगा। कन्या के गर्भ में आने से लेकर जीवनपर्यन्त तक उसे सुरक्षा प्रदान तभी की जा सकती है जब सभी की सोच में परिवर्तन लाकर पुत्र–पुत्री को समानता प्रदान की जाए। माता–पिता पुत्री का विवाह करने के बाद पुत्री की कोई जिम्मेदारी उठाना पसंद नहीं करते, समाज विरूद्ध समझते है। विवाह में माता– पिता कन्यादान करके उसकी जिम्मेदारी कन्या के ससुराल वालों को देते हैं। विवाह के पश्चात् कन्या को पराया समझा जाता है।

- **आत्म–विश्वास बढ़ाना एवं शोषण के विरूद्ध सशक्त करना** – राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील के शहीदों की विधवा महिलाओं को यह बताना होगा कि वे अबला नहीं है। वे सभी प्रकार से पुरूषों के समान है। वे स्वयं पति के सहारे के बिना अपना और अपने बच्चों का निर्वाह कर सकती है। जीविकोपार्जन कर सकती है। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। वे अपनी और अपने बच्चों की देखभाल स्वयं कर सकती है। उनके विरूद्ध की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की हिंसा शोषण का उन्हें विरोध करना चाहिए। इन पर होने वाले अत्याचारों, शोषण का इनके बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन विधवा महिलाओं में छुपे गुणों, क्षमताओं को पहचानने के लिए उन्हें जागरूक करना होगा तभी इनके विरूद्ध होने वाले अत्याचारों, हिंसाओं शोषण को रोका जा सकता है।
- **स्वयंसेवी संगठनों का प्रसार एवं प्रचार करना** :– ऐसी अनेक स्वयंसेवी संगठन है, जो पीड़ित महिलाओं को हिंसात्मक, शोषण सम्बन्धी समस्याओं का अनेक प्रकार से समाधान करती है। ये संस्थाएं पीड़ित महिला की समस्याओं का अध्ययन करती है। पीड़ित महिला उसके ससुराल वाली पुलिस एवं न्यायालय में जाकर सम्बन्धित लोगों से बातचीत करती है। समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती है। पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का समाधान इन संगठनों द्वारा सफलतापूर्वक होने की संभावना अधिक होती है। इन संगठनों द्वारा समस्याओं के विरूद्ध आवाज उठाने का सार्वजनिक, मानवतावादी, नैतिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसे स्वयंसेवी संगठन की जो पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का समाधान करते है उन्हें सशक्त बनाना चाहिए साथ ही ऐसे संगठनों की जानकारी सभी महिलाओं को होनी चाहिये चाहे वह सधवा हो या विधवा महिलाएं। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों का प्रचार–प्रसार सम्पूर्ण देश में तथा राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील में भी करना चाहिये जिससे शेरगढ़ तहसील के शहीदों की विधवा महिलाओं अन्य महिलाओं के विरूद्ध होने वाले भेदभाव, अत्याचारों से उन्हें मुक्ति मिल सके, यह महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके लड़ सके।
- **सुरक्षा एवं आश्रय की व्यवस्था** :– जब महिलाओं, शेरगढ़ तहसील के शहीदों की विधवा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा होती है तो उस समय उन्हें सुरक्षा, आश्रय की विशेष आवश्यकता होती है। इन पीड़ित शहीदों की विधवा महिलाओं को सबसे अधिक आवश्यकता सुरक्षा, सहायता, आश्रय, सलाह की पड़ती है। इन विधवा महिलाओं के विरूद्ध विभिन्न हिंसाओं को सहन करने का कारण सुरक्षा, सहायता, आश्रय का अभाव है। विवाह उपरान्त माता–पिता विधवा पुत्री को आश्रय देने में समाज के सभय से टालते है। ऐसी स्थिति में अपना शोषण कराने के अतिरिक्त पीड़ित महिला के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता। सरकार स्वयं सेवी संगठन को चाहिए कि वह अधिक से अधिक इन महिलाओं की सुरक्षा हेतु उचित कदम उठाये, कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करे, रहने–खाने (आवास) की सुविधाओं को प्रदान करें इन योजनाओं आवास की जानकारी इन महिलाओं तक प्रचार माध्यमों से पहुचाएँ।
- **रोजगार दिलाने एवं बच्चों की देखभाल की सुविधाओं की व्यवस्था** :– राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील के पीड़ित शहीदो की विधवा महिलाओं के सम्मुख सबसे जटिल समस्या जीविकोपार्जन की होती है और जिनके बच्चे होते है उनके लिए बच्चों की देखभाल, पालन पोषण की समस्या भी होती है, उनके पास इन समस्याओं के अभाव के कारण अपने और अपने बच्चों का शोषण करवाने, हिंसात्मक अत्याचारों को सहने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता इसलिए इन विधवा महिलाओं को उचित रोजगार के अवसर बच्चों की देखभाल, पालन–पोषण, शिक्षा हेतु उचित सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिये।
- **निःशुल्क कानूनी सहायता** :– देश में ऐसे कुछ संगठन है जो महिलाओं, विधवाओं, शहीदों की विधवा महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते है। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को रोकने हेतु इन संगठनों की जानकारी इन विधवा महिलाओं को देनी चाहिये ऐसे संगठनों की संख्या कम है, इन संगठनों की संख्या बढ़ानी चाहिये।

निष्कर्ष

महिलाएं चाहे सधवा हो या विधवा या शहीदों की विधवा महिलाएँ हो। आज की परिस्थितियों को देखते हुए उनको सबल, सशक्त बनाना, उनका सशक्तीकरण करना अति आवश्यक है। इन महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा इसके लिए इन्हें शिक्षित, आत्मनिर्भर बनाना होगा, प्रत्येक संस्थानों में चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी स्थानीय स्तर हो इन महिलाओं को नियुक्त करना होगा। महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाये गए कानूनों, संवैधानिक प्रावधानों से इन्हें अवगत कराना होगा। लैंगिग विषमता को दूर करना होगा, भारतमें पित्रसत्तात्मक व्यवस्था, दकियानुसी रूढ़ि प्रथा, अंधविश्वासों को दूर करना होगा। संवैधानिक, राजनीतिक पदों पर अधिक से अधिक इन महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना होगा। मानवीय न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. हैन्डलमैन ले कामगार 'द कानसेप्ट ऑफ रीमेरिज अमड़ इजरायली 'वार विडोज', जनरल आफ कम्पेरेटिव फैमिली स्टेडीज, वाल्यूम–13 नम्बर– 3 सितम्बर 1982
2. डा0 लवानियॉ एम एम "भारतीय महिलाओं का समाज शास्त्र" रिसर्च पब्लिकेशन्स नई दिल्ली (1989)
3. जूर जुडिथ वाइलेन्ट मेमरीज "मांयान वार विडोज इन ग्वेटमाला, वेस्टव्यू प्रेस बोल्डर ऑक्सफोर्ड, 16 अप्रेल 1998
4. सूद सुषमा "वार विडोज इन इण्डिया एण्ड नेपाल" बाफना पब्लिकेशन जयपुर (2001)
5. परमार लीना, मनी मैटर्स – 'द एक्सपिरीयन्स ऑफ कारगिल वार विडोज' मानुषि 1 अक्टूबर 2003
6. पाटिल द गोदावरी हिंदू विडोजः ए स्टडी इन डेप्रिवेंशन ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, न्यू देहली (2000)
7. आहुजा राम : "भारतीय सामाजिक व्यवस्था" रावत पब्लिकेश्यान जयपुर (1977)
8. शर्मा अरविन्द 'सती हिस्टोरिकल एण्ड फीनोमीनोलोजिकल एसेज' मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन्स दिल्ली (1998)
9. चक्रवर्ती उमा, "विडोहुड एज सोशल डेथ" हयूमन स्केप (2000)
10. अथवले पार्वती : "माई स्टोरी द ऑटोबायोलाजी ऑफ ए हिन्दू विडो (मराठी) (अनुदित) अबोर्ट" रीव जार्स्टन इ.जी.पी. पेटूम सन्स, न्यूयार्क (1930).

❖◆❖